पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 फरवरी, 2016 ई0 (माघ 24, 1937 शक सम्वत्) [संख्या–07

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	31–64	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	29	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	13–27	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सैनिक कल्याण अनुभाग

अधिसूचना

21 जनवरी, 2016 ई0

संख्या 1205/XVII-5/16–13(1)अर्द्ध सै0/2015–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा–11 की उपधारा (1) तथा धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या–589/XVII-5/15–13(1) अर्द्ध सै0/2015, दिनांक 11–06–2015 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय उक्त अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ जिला पिथौरागढ़ के ग्राम काण्डा मान सिंह (नारायण नगर) पट्टी नारायण नगर, तहसील डीडीहाट में 11वीं वाहिनी सशस्त्र सीमाबल डीडीहाट की वाहिनी मुख्यालय के निर्माण के लिए आवश्यकता है। अतः पिथौरागढ़ के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें।

चूँकि, श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेत्तर यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 23 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, तथापि उक्त लोक प्रयोजनार्थ पिथौरागढ़ के कलेक्टर धारा–21 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा कर सकते हैं।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No.1205/ XVII-5/16-13(1) अर्द्ध सै0/2015, Dehradun,** Dated January 21, 2016 for general information.

No. 1205/XVII-5/16-13(1) अर्द्ध सै0/2015

Dated Dehradun, January 21, 2016

NOTIFICATION

In Continuation of Notification No. 589/XVII-5/15-13(1) Paramilitary/2015 Dated 11.06.2015 issued sub-section (1) of section 11 and sub-section (4) of Section 40 of the TRTFCAT in LARR Act, 2013 (Act No. 30 of 2013), the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of section 19 of the said Act that he is satisfied that the land mentioned in the Schedule below, is needed for a public purpose, namely for construction of the BN Head Quarters for 11th Bn. SSB Didihat at Village Kanda Man Singh in Patti Narayan Nagar Tehsil Didihat Distt. Pithoragarh and to direct the Collector District Pithoragarh to Acquisition to the said land.

The Governor being satisfied that the case is one of urgency, is further placed under sub-section (4) of section 40 of the said Act direct that though no award under section has been made, the Collector, Pithoragarh may, on the expiration of 15 days from the publication of the notice under sub-section of the section 23, take possession of the said land mentioned in the Schedule below for the said public purpose.

अनुसूची

SCHEDULE

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mauza	प्लाट संख्या Plot no.	क्षेत्रफल है0 Area (Hect.)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़ Pithoragarh	नारायण नगर	काण्डा मान सिंह	999	0.036
			1000	0.040
			1001	0.024

1	2	3	4	5
			1002	0.015
			1003	0.011
			1004	0.018
			1005	0.018
			1006	0.021
			1007	0.013
			1008	0.013
			1009	0.013
			1010	0.010
			1012	0.014
			1013	0.005
			1014	0.005
			1015	0.005
			1016	0.006
			1018	0.009
			1019	0.010
			1020	0.013
			1021	0.015
			1022	0.026
			1024	0.010
			1025	0.008
			1026	0.006
			1027	0.005
			1028	0.053
			1029	0.055
			1030	0.005
			1031	0.005
			1032	0.005
			1033	0.011
			1034	0.005
			1035	0.008
			1036	0.025

1	2	3	4	5
			1037	0.023
			1038	0.009
			1039	0.009
			1040	0.011
			1041	0.015
			1042	0.019
			1043	0.013
			1044	0.009
			1045	0.004
			1046	0.009
			1047	0.010
			1048	0.011
			1049	0.003
			1050	0.001
			1051	0.004
			1052	0.004
			1054	0.003
			1055	0.008
			1056	0.016
			1057	0.010
			1058	0.013
			1059	0.019
			1060	0.003
			1061	0.001
			1062	0.009
			1063	0.005
			1064	0.008
			1065	0.006
			1066	0.013
			1067	0.003
			1068	0.004
			1069	0.004

1	2	3	4	5
			1070	0.015
			1071	0.011
			1072	0.015
			1073	0.013
			1074	0.010
			1075	0.009
			1076	0.015
			1077	0.003
			1078	0.015
			1079	0.003
			1080	0.005
			1081	0.018
			1082	0.010
			1083	0.010
			1084	0.009
			1085	0.011
			1088	0.016
			1089	0.014
			1090	0.008
			1091	0.039
			1092	0.028
			1093	0.004
			1094	0.016
			1095	0.028
			1096	0.030
			1097	0.025
			1098	0.019
			1099	0.016
			1100	0.018
			1101	0.016
			1102	0.010

1	2	3	4	5
			1103	0.019
			1104	0.016
			1105	0.018
			1106	0.019
			1107	0.011
			1108	0.010
			1109	0.008
			1110	0.005
			1111	0.005
			1112	0.005
			1113	0.013
			1114	0.013
			1115	0.009
			1116	0.008
			1117	0.006
			1118	0.005
			1119	0.011
			1121	0.003
			1122	0.005
			1123	0.005
			1124	0.008
			1125	0.008
			1126	0.010
			1127	0.010
			1128	0.009
			1129	0.009
			1130	0.005
			1131	0.004
			1132	0.004
			1148	0.018
			1149	0.010
			1150	0.008

1	2	3	4	5
			1151	0.010
			1152	0.003
			1153	0.018
			1154	0.010
			1155	0.004
			1156	0.008
			1157	0.011
			1158	0.010
			1159	0.013
			1160	0.006
			1161	0.005
			1162	0.005
			1163	0.006
			1164	0.011
			1165	0.014
			1166	0.004
			1167	0.011
			1168	0.003
			1169	0.006
			1248	0.006
			1249	0.010
			1250	0.016
			1295	0.021
			1296	0.023
			1297	0.003
			1298	0.010
			1299	0.005
			1300	0.004
			1301	0.003
			1302	0.013
			1303	0.009

1	2	3	4	5
			1304	0.010
			1305	0.048
			1306	0.024
			1307	0.035
			1308	0.003
			1310	0.008
			1311	0.009
			1312	0.008
			1313	0.051
			1314	0.024
			1315	0.009
			1316	0.009
			1317	0.013
			1318	0.021
			1319	0.010
			1320	0.024
			1322	0.011
			1323	0.015
			1324	0.030
			1325	0.024
			1326	0.026
			1327	0.025
			1328	0.013
			1329	0.015
			1330	0.008
			1331	0.008
			1332	0.009
			1333	0.010
			1334	0.005
			1335	0.010

1	2	3	4	5
			1336	0.005
			1337	0.008
			1338	0.006
			1339	0.004
			1340	0.005
			1341	0.010
			1342	0.023
			1343	0.010
			1344	0.018
			1345	0.018
			1346	0.008
			1347	0.013
			1348	0.031
			1349	0.025
			1350	0.015
			1351	0.014
			1365	0.023
			1366	0.006
			1367	0.003
			1368	0.003
			1369	0.004
			1370	0.001
			1371	0.008
			1372	0.008
			1373	0.008
			1374	0.009
			1375	0.004
			1376	0.004
			1377	0.008
			1378	0.013
			1379	0.009

1	2	3	4	5
			1380	0.010
			1381	0.010
			1382	0.005
			1383	0.008
			1385	0.008
			1386	0.010
			1387	0.010
			1388	0.006
			1389	0.008
			1390	0.008
			1391	0.008
			1392	0.006
			1393	0.003
			1394	0.006
			1395	0.010
			1396	0.010
			1397	0.013
			1398	0.020
			1399	0.013
			1400	0.028
			1408	0.010
			1409	0.009
			1410	0.003
			1411	0.006
			1412	0.021
			1413	0.010
			1414	0.004
			1415	0.005
			1416	0.003
			1417	0.006
			1418	0.010

1	2	3	4	5
			1419	0.009
			1420	0.009
			1421	0.010
			1422	0.006
			1423	0.009
			1424	0.009
			1425	0.005
			1426	0.006
			1427	0.009
			1428	0.009
			1429	0.009
			1430	0.011
			1431	0.003
			1432	0.003
			1433	0.003
			1434	0.004
			1435	0.004
			1436	0.010
			1437	0.009
			1438	0.009
			1439	0.001
			1440	0.013
			1441	0.013
			1442	0.008
			1443	0.005
			1444	0.003
			1445	0.006
			1446	0.005
			1449	0.005
			1450	0.001
			1452	0.019

1	2	3	4	5
			1453	0.006
			1454	0.005
			1455	0.005
			1456	0.004
			1457	0.030
			1458	0.003
			1459	0.009
			1460	0.005
			1464	0.009
			1465	0.004
			1466	0.005
			1467	0.005
			1468	0.013
			1469	0.006
			1470	0.004
			1471	0.005
			1472	0.005
			1473	0.010
			1474	0.006
			1475	0.005
			1476	0.005
			1477	0.004
			1478	0.014
			1479	0.005
			1480	0.003
			1481	0.010
			1482	0.005
			1483	0.005
			1484	0.003
			1485	0.004
			1486	0.005

1	2	3	4	5
			1487	0.006
			1488	0.008
			1489	0.020
			1490	0.013
			1491	0.011
			1493	0.013
			1494	0.014
			1495	0.004
			1496	0.016
			1497	0.018
			1498	0.005
			1499	0.008
			1500	0.004
			1501	0.005
			1502	0.004
			1503	0.004
			1504	0.006
			1505	0.003
			1506	0.006
			1507	0.005
			1508	0.015
			1509	0.010
			1510	0.003
			1511	0.005
			1512	0.004
			1513	0.008
			1514	0.006
			1515	0.009
			1516	0.004
			1517	0.004
			1518	0.016

1	2	3	4	5
			1519	0.005
			1520	0.004
			1521	0.005
			1522	0.021
			1523	0.003
			1524	0.015
			1525	0.004
			1526	0.016
			1527	0.006
			1528	0.005
			1529	0.008
			1530	0.005
			1531	0.005
			1532	0.004
			1534	0.004
			1535	0.001
			1536	0.009
			1537	0.015
			1538	0.009
			1539	0.008
			1540	0.008
			1542	0.005
			1543	0.006
			1544	0.020
			1547	0.004
			1548	0.003
			1549	0.008
			1550	0.011
			1551	0.004
			1552	0.013
			1553	0.005

1	2	3	4	5
			1554	0.013
			1555	0.001
			1556	0.019
			1557	0.005
			1558	0.004
			1559	0.009
			1560	0.003
			1561	0.005
			1562	0.001
			1563	0.003
			1564	0.004
			1565	0.003
			1566	0.005
			1567	0.001
			1568	0.005
			1569	0.005
			1570	0.009
			1571	0.008
			1572	0.019
			1573	0.003
			1574	0.004
			1575	0.005
			1576	0.010
			1577	0.005
			1578	0.003
			1579	0.001
			1580	0.008
			1581	0.003
			1582	0.005
			1583	0.001
			1584	0.005

1	2	3	4	5
			1585	0.016
			1586	0.018
			1587	0.006
			1588	0.028
			1589	0.005
			1590	0.006
			1592	0.008
			1593	0.003
			1594	0.004
			1595	0.018
			1596	0.008
			1597	0.006
			1598	0.019
			1599	0.015
			1600	0.008
			1601	0.006
			1602	0.004
			1603	0.005
			1604	0.005
			1605	0.005
			1606	0.006
			1607	0.008
			1608	0.006
			1609	0.002
			1610	0.006
			1611	0.006
			1612	0.004
			1614	0.005
			1615	0.006
			1616	0.005
			1617	0.006

1	2	3	4	5
			1618	0.008
			1619	0.006
			1621	0.004
			1622	0.015
			1623	0.009
			1624	0.011
			1626	0.005
			1631	0.009
			1632	0.003
			1633	0.004
			1634	0.004
			1635	0.005
			1641	0.006
			1642	0.006
			1643	0.005
			1644	0.004
			1645	0.004
			1646	0.018
			1647	0.005
			1648	0.005
			1649	0.005
			1650	0.009
			1651	0.005
			1653	0.009
			1654	0.008
			1655	0.006
			1656	0.005
			1657	0.005
			1658	0.006
			1659	0.008
			1660	0.005

1	2	3	4	5
			1661	0.001
			1662	0.009
			1663	0.013
			1664	0.008
			1665	0.006
			1666	0.016
			1667	0.008
			1668	0.050
			1669	0.011
			1670	0.029
			1671	0.054
			1672	0.049
			1673	0.018
			1674	0.025
			1675	0.024
			1676	0.013
			1677	0.011
			1678	0.029
			1679	0.026
			1680	0.035
			1681	0.025
			1682	0.014
			1683	0.013
			1684	0.048
			1685	0.006
			1686	0.013
			1687	0.010
			1688	0.013
			1689	0.005
			1690	0.010
			1691	0.005

1	2	3	4	5
			1692	0.005
			1693	0.006
			1694	0.011
			1695	0.011
			1696	0.006
			1697	0.011
			1698	0.018
			1699	0.020
			1700	0.009
			1701	0.003
			1702	0.028
			1703	0.008
			1704	0.008
			1705	0.013
			1706	0.008
			1707	0.006
			1708	0.006
			1709	0.005
			1710	0.004
			1711	0.004
			1712	0.004
			1713	0.013
			1714	0.006
			1717	0.008
			1718	0.008
			1719	0.010
			1720	0.016
			1721	0.011
			1722	0.011
			1723	0.010
			1734	0.011

1	2	3	4	5
			1739	0.006
			1740	0.001
			1741	0.008
			1742	0.003
			1743	0.004
			1773	0.003
			1774	0.006
			1775	0.009
			1776	0.004
			1777	0.001
			1778	0.001
			1779	0.006
			1780	0.005
			1781	0.004
			1782	0.008
			1783	0.005
			1784	0.003
			1785	0.006
			1788	0.006
			1790	0.005
			1791	0.018
			1792	0.011
			1793	0.005
			1795	0.021
			1796	0.010
			1797	0.003
			1798	0.003
			1799	0.001
			1800	0.004
			1911	0.014
			1913	0.005

1	2	3	4	5
			1914	0.001
			1915	0.001
			1916	0.004
			1917	0.006
			1918	0.030
			1919	0.018
			1920	0.018
			1921	0.016
			1922	0.018
			1923	0.026
			1924	0.005
			1925	0.018
			1926	0.019
			1927	0.006
			1928	0.009
			1929	0.018
			1931	0.009
			1932	0.008
			1933	0.011
			1934	0.003
			1935	0.004
			1936	0.029
			1937	0.005
			1938	0.029
			1939	0.005
			1940	0.021
			1941	0.013
			1942	0.016
			1943	0.015
			1944	0.018
			1945	0.014

1	2	3	4	5
			1946	0.016
			1947	0.009
			1948	0.010
			1949	0.005
			1950	0.008
			1951	0.006
			1952	0.011
			1953	0.006
			1954	0.009
			1955	0.006
			1956	0.006
			1957	0.005
			1958	0.003
			1959	0.004
			1960	0.003
			1961	0.003
			1962	0.003
			1963	0.009
			1964	0.003
			1965	0.001
			1966	0.005
			1967	0.013
			1968	0.014
			1969	0.003
			1970	0.008
			1971	0.004
			1972	0.004
			1973	0.003
			1974	0.003
			1975	0.001
			1976	0.005

1	2	3	4	5
			1977	0.006
			1978	0.006
			1979	0.006
			1980	0.005
			1981	0.010
			1982	0.004
			1984	0.011
			1985	0.018
			1986	0.018
			1987	0.030
			1988	0.011
			1989	0.015
			1990	0.004
			1991	0.009
			1992	0.010
			1993	0.018
			1994	0.003
			1995	0.001
			1996	0.003
			1997	0.003
			1998	0.010
			1999	0.009
			2000	0.013
			2001	0.018
			2002	0.005
			2007	0.011
			2010	0.004
			2011	0.006
			2012	0.003
			2013	0.004
			2014	0.008

1	2	3	4	5
			2015	0.005
			2017	0.004
			2018	0.001
			2019	0.004
			2020	0.003
			2021	0.008
			2022	0.005
			2023	0.004
			2024	0.005
			2025	0.001
			2026	0.001
			2027	0.003
			2029	0.004
			2030	0.003
			2031	0.003
			2032	0.009
			2033	0.001
			2034	0.005
			2035	0.008
			2036	0.003
			2037	0.004
			2038	0.003
			2040	0.004
			2041	0.009
			2042	0.006
			2043	0.005
			2044	0.010
			2045	0.001
			2046	0.009
			2047	0.006
			2048	0.005
			2049	0.001

1	2	3	4	5
			2050	0.015
			2051	0.010
			2052	0.018
			2053	0.005
			2054	0.006
			2055	0.010
			2056	0.014
			2057	0.005
			2058	0.005
			2059	0.020
			2060	0.006
			2061	0.018
			2062	0.008
			2063	0.004
			2064	0.005
			2065	0.005
			2066	0.008
			2067	0.004
			2068	0.011
			2069	0.008
			2070	0.013
			2074	0.005
			2079	0.005
			2080	0.005
			2081	0.009
			2082	0.009
			2083	0.010
			2084	0.006
			2085	0.005
			2086	0.009
			2087	0.008

1	2	3	4	5
			2089	0.006
			2090	0.005
			2091	0.006
			2092	0.003
			2093	0.015
			2094	0.006
			2095	0.006
			2096	0.011
			2097	0.003
			2098	0.006
			2099	0.006
			2100	0.006
			2101	0.015
			2102	0.005
			2103	0.010
			2104	0.011
			2105	0.005
			2106	0.005
			2107	0.005
			2108	0.003
			2109	0.009
			2110	0.004
			2111	0.008
			2112	0.008
			2113	0.006
			2114	0.008
			2115	0.013
			2116	0.006
			2117	0.014
			2118	0.009
			2119	0.009

1	2	3	4	5
			2120	0.014
			2121	0.006
			2122	0.014
			2123	0.005
			2124	0.004
			2125	0.011
			2127	0.023
			2128	0.011
			2129	0.010
			2130	0.004
			2131	0.003
			2132	0.006
			2133	0.011
			2134	0.016
			2135	0.020
			2136	0.009
			2137	0.008
			2138	0.004
			2139	0.006
			2140	0.018
			2141	0.009
			2142	0.003
			2143	0.010
			2144	0.009
			2145	0.016
			2146	0.014
			2147	0.025
			2148	0.011
			2149	0.028
			2150	0.011
			2151	0.010

1	2	3	4	5
			2152	0.026
			2153	0.019
			2154	0.008
			2155	0.043
			2156	0.004
			2157	0.016
			2158	0.001
			2159	0.013
			2160	0.006
			2161	0.008
			2162	0.018
			2163	0.031
			2355	0.008
			2356	0.016
			2357	0.014
			2358	0.004
			2359	0.004
			2360	0.004
			2361	0.004
			2362	0.013
			2363	0.004
			2364	0.011
			2365	0.005
			2366	0.004
			2368	0.009
			2370	0.018
			2371	0.011
			2372	0.003
			2373	0.001
			2374	0.009
			2375	0.003

1	2	3	4	5
			2376	0.003
			2377	0.001
			2378	0.009
			2379	0.005
			2380	0.006
			2381	0.004
			2382	0.005
			2383	0.013
			2384	0.009
			2385	0.004
			2387	0.004
			2388	0.003
			2389	0.003
			2390	0.005
			2391	0.006
			2392	0.004
			2393	0.011
			2394	0.013
			2395	0.021
			2396	0.005
			2397	0.011
			2398	0.003
			2399	0.015
			2400	0.006
			2401	0.010
			2402	0.001
			2403	0.003
			2404	0.001
			2405	0.005
			2406	0.008
			2409	0.004

1	2	3	4	5
			2410	0.008
			2411	0.016
			2412	0.003
			2414	0.003
			2425	0.004
			2426	0.006
			2427	0.004
			2428	0.005
			2429	0.003
			2430	0.004
			2431	0.006
			2432	0.005
			2433	0.013
			2434	0.013
			2436	0.004
			2437	0.004
			2438	0.004
			2439	0.005
			2440	0.005
			2441	0.009
			2442	0.005
			2443	0.005
			2444	0.001
			2445	0.008
			2446	0.004
			2447	0.006
			2545	0.006
			2546	0.006
			2547	0.010
			2549	0.008
			2550	0.003

1	2	3	4	5
			2551	0.003
			2552	0.003
			2553	0.010
			2554	0.019
			2555	0.005
			2556	0.013
			2557	0.004
			2558	0.010
			2559	0.001
			2560	0.008
			2561	0.010
			2563	0.014
			2564	0.009
			2566	0.004
			2567	0.009
			2568	0.013
			2574	0.001
			2575	0.006
			2576	0.008
			2577	0.005
			2578	0.013
			2579	0.004
			2580	0.004
			2581	0.003
			2582	0.013
			2583	0.005
			2584	0.003
			2585	0.001
			2586	0.003
			2594	0.021
			2595	0.018

1	2	3	4	5
			2596	0.009
			2597	0.005
			2598	0.009
			2599	0.013
			2600	0.011
			2601	0.013
			2602	0.015
			2603	0.014
			2604	0.020
			2605	0.004
			2606	0.021
			2607	0.020
			2608	0.008
			2609	0.008
			2610	0.001
			2611	0.003
			2613	0.005
			2614	0.009
			2615	0.010
			2616	0.009
			2617	0.010
			2618	0.008
			2619	0.016
			2620	0.011
			2621	0.008
			2622	0.008
			2623	0.010
			2624	0.005
			2626	0.006
			2627	0.004
			2628	0.010

1	2	3	4	5
			2629	0.010
			2630	0.004
			2631	0.003
			2632	0.005
			2633	0.005
			2634	0.009
			2635	0.010
			2636	0.005
			2655	0.010
			2656	0.009
			2657	0.008
			2658	0.005
			2659	0.005
			2660	0.005
			2661	0.008
			2662	0.009
			2688	0.006
			2689	0.008
			2690	0.008
			2691	0.005
			2692	0.014
			2693	0.004
			2694	0.008
			2696	0.003
			2697	0.018
			2698	0.008
			2699	0.018
			2700	0.013
			2701	0.006
			2710	0.008
			2711	0.006

1	2	3	4	5
			2713	0.006
			2714	0.005
			2715	0.009
			2718	0.004
			2719	0.008
			2720	0.006
			2721	0.010
			2722	0.009
			2723	0.018
			2724	0.003
			2726	0.014
			2727	0.004
			2728	0.008
			2729	0.005
			2730	0.021
			2731	0.006
			2733	0.006
			2734	0.006
			985	9.169

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण क्लैक्टर पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितवद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/56–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 फरवरी, 2016 ई0 (माघ 24, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 19, 2016

No. 17/UHC/XIV/35/Admin.A--Ms. Kumkum Rani, District & Sessions Judge, Nainital, is hereby sanctioned medical leave for 05 days *w.e.f.* 03.01.2016 to 07.01.2016.

NOTIFICATION

January 20, 2016

No. 18/UHC/XIV-a-33/Admin.A/2012--Sri Manoj Kumar Dwivedi, Judicial Magistrate-I, Roorkee District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 12.11.2015 to 24.11.2015. with permission to prefix 08.11.2015 to 11.11.2015 as Sunday and Deepawali holidays and to suffix 25.11.2015 as Gurunanak Jayanti holiday.

NOTIFICATION

January 21, 2016

No. 19/UHC/XIV/82/Admin.A/2003--Smt. Pritu Sharma, ADJ/FTC/Special Judge (POCSO), Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 04.01.2016 to 15.01.2016 with permission to prefix 03.01.2016 as Sunday holiday and to suffix 16.01.2016 & 17.01.2016 as Govt. holiday and Sunday holiday respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट / 56–भाग 1–क–2016 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 फरवरी, 2016 ई0 (माघ 24, 1937 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगर निगम, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर

02 जनवरी, 2016 ई0

पत्रांक 1118/मु0 कार्यालय/2015–16–उत्तराखण्ड नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–8 क क (1) के अन्तर्गत कार्यकारणी समिति के अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर निगम काशीपुर कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम 2014 मेरे द्वारा अधिनियम की धारा–548(1)(एफ) तथा (जी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बनाये गये हैं, को सभी नगर निगम के कर्मचारियों के अवलोकनार्थ एवं आपत्ति एवं सुझावों हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। सम्बन्धित सभी पक्ष जिनको इस पर कोई आपत्ति या सुझाव देना हो, प्रकाशन की तिथि के 30 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति सुझाव को प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त समयोपरान्त प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर निगम काशीपुर में कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम, 2014

उ0प्र0/उत्तराखण्ड नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–548(1)(एफ) और (जी) के अन्तर्गत–

1. यह विनियम नगर निगम काशीपुर कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम 2014 होगा।
2. यह विनियम नगर निगम घोषित होने की तिथि से प्रभावी समझें जायेंगे। और उन कर्मचारियों पर लागू होंगे जिनकी नियुक्ति नगर पालिका परिषद्/नगर निगम काशीपुर के अकेन्द्रीयत सेवा के पद पर हुई है।

2–परिभाषाऐं:–

जब तक विषय व संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इन विनियमों में–

(1) "अधिनियम" अथवा "एक्ट" से तात्पर्य, उत्तराखण्ड नगर निगम "अधिनियम" 1959 से है।

(2) "औसत परिलब्धियों" से तात्पर्य है, सेवानिवृत्ति के दिनांक से पूर्व 10 मास में प्राप्त परिलब्धियों का औसत धन। यदि इन 10 मासों में छुट्टी का समय भी सम्मिलित हो तो उस समय के लिए अगर व छुट्टी पर न रहा होता तो स्थाई नियुक्ति के लिए जो परिलब्धियाँ प्राप्त (एडमिसिविल) होती, वे परिलब्धियाँ समझी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि अधिनियम की धारा–577(ङ) में वर्णित किसी अधिकारी के विषय में यदि यह नियत दिन के पूर्व स्थाई हो चुका हो तो औसत उपलब्धियाँ निकालने के नियत दिन के पहले तथा नियत दिन और उसके पश्चात् नगर निगम के अन्तर्गत की गयी सारी सेवा के समय स्थाई नियुक्ति का समय तथा इस समय में मिला वेतन स्थाई वेतन माना जायेगा।

(3) परिलब्धियाँ (एमालूमेन्टस) से तात्पर्य–

(क) पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्तिक लाभों (सेवा निवृत्तिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोडकर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से हैं जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 के भाग–2 से 4 के मूल नियम–9(21)(1) में परिभाषित है। और जिसे कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु के तिथि को प्राप्त कर रहा था।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई अधिकारी के सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु जैसी भी दशा हो के समय छुट्टी पर हो तो वह परिलब्धियाँ (एमालूमेन्टस) जो उसे प्राप्त होती है, यदि वह उस समय अवकाश पर न होता परिलब्धियाँ समझी जायेगी।

(ख) मूल वेतन का आशय वेतन समिति उत्तराखण्ड 2008 के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के अनुक्रम में नगर निगम कर्मचारियों के दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या–1190/iv(1)/2009/01(72)/2008, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 के अनुसार निर्धारित वेतन बैण्ड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड वेतन का योग होगा जिसमें विशेष वेतन वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन सम्मिलित नहीं होगा।

(ग) वेतन–वेतन का आशय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त उस वेतन से है जो उन्हें सेवा निवृत्ति तिथि/मृत्यु तिथि से एकदम पूर्व मूल वेतन+महंगाई भत्ता के योग के रूप में प्राप्त हो रहा था।

(4) परिवार में किसी अधिकारी/कर्मचारी के नीचे लिखे सम्बन्धी सम्मिलित होंगेः–

(क) धर्म पत्नी, पुरूष अधिकारी के सम्बन्ध में

(ख) पति, स्त्री अधिकारी के सम्बन्ध में (इसमें सौतेले बच्चे और गोद लिये बच्ची भी सम्मिलित होंगे।)

(ग) पुत्र

(घ) अविवाहित अथवा विधवा पुत्रियाँ

(ङ) भ्राता 18 वर्ष से कम आयु का तथा अविवाहित और विधवा, बहिनें (जिनमे विभातृ, भ्राता तथा विभातृ बहनें सम्मिलित होंगी)

(च) पिता

(छ) माता

(ज) विवाहित पुत्रियाँ जिसमें सौतेली लडकियाँ भी सम्मिलित होंगी।

(झ) पूर्व मृत पुत्र के बच्चे

(5) अधिकारी एवं कर्मचारी से तात्पर्य है काशीपुर नगर निगम में किसी ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है जो नगर निगम के अन्तर्गत किसी स्थाई सेवा निवृत्ति वेतनीय (पेंशनेबुल) पद पर नियुक्त हो तथा वह पद उस श्रेणी में आता हो, जिसको यह विनियम लागू हो अथवा उसको ऐसे पद पर धारणाधिकार हो या उसके ऐसे पद पर नियुक्त रहने का धारणाधिकारी हो (वूड होल्ड लियन) यदि उसका वह अधिकारी निलम्बित न कर दिया गया हो (हैडैड हिजलियन नाट बीन सस्पेन्डेड)

(6) निवृत्तिं वेतनीय पद पेंशनेबुल पोस्ट से तात्पर्य ऐसे पदों से है। जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन बाते पूरी होती हैः–

(1) पद नगर निगम सेवा नियमावली अन्तर्गत नगर निगम काशीपुर के किसी संवर्ग में हो।

(2) नियोजन मौलिक और स्थाई हो और

(3) सेवा कार्य के लिए भुगतान नगर निगम काशीपुर से किया जाता रहा हो।

(7) अर्हकारी सेवा का तात्पर्य ऐसी सेवा से है कि जो सिविल सर्विस रेगूलेशन के अनुसार सेवानिवृत्ति वेतन प्राप्त करने के योग्य बनाती हो।

(8) सेवा निवृत्ति से तात्पर्य है किसी अधिकारी/कर्मचारी का नगर निगम सेवा अवधि पूर्ण करने पर, असमर्थ (इनवैलिड) होने पर बाध्य किये जाने पर 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अथवा सेवा सम्बन्धी किसी नियम के अनुसार स्वेच्छा से निवृत्ति ग्रहण करने अथवा स्थाई नियुक्ति वाले पद के टूटने पर उसकी नियुक्ति दूसरे स्थाई पद पर न हो सकने की दशा में सेवा निवृत्ति होने से प्रतिबन्ध यह है कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी हो।

3–अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें विनियम प्रभावी है, यह विनियम लागू हों–

(1) उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जिनकी नियुक्ति इन विनियमों के प्रभावी होने के बाद नगर निगम द्वारा अधिनियम की धारा–106 के अन्तर्गत स्थाई रूप से सृजित किये गये पदों पर स्थाई रूप से हो।

(2) (क) उन सभी कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होंगे, जो नगर निगम बनने के दिनांक 21–07–2011 को अधिनियम की धारा–577 (ड) के अनुसार स्थाई रूप से नियोजित पद पर निगम के कर्मचारी/अधिकारी हो गये हैं। प्रतिबन्ध यह है, कि म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा जमा किया गया भविष्य निधि अंशदान जिसमें बोनस तथा उससे अर्जित किया गया ब्याज सम्मिलित हो, नगर निगम द्वारा खोले गये निवृत्ति वेतन निधि में जमा कर दिया जायेगा और म्युनिसिपल बोर्ड के अधीन की गयी सेवाएं इस कार्य के लिए निगम के अन्तर्गत की गयी सेवाएं समझी जायेंगी। यदि इन विनियमों को अंगीकार करने वाला कोई कर्मचारी/अधिकारी प्रोविडेन्ट फण्ड में जमा किया गया धन वापस ले चुका हो तो उसे देय अंशदान नगर निगम द्वारा खोले गये निवृत्ति निधि में जमा करना होगा।

(ख) अकेन्द्रीयत सेवा के जो अधिकारी/कर्मचारी इन विनियमों के लागू होने के बाद केन्द्रीय सेवा में जाते हैं वह भी केन्द्रीयत सेवा में जाने के 90 दिन के अन्दर विकल्प द्वारा इन विनियमों को बनाये रख सकते हैं। किन्तु शर्त यह है कि यह विकल्प अन्तिम होगा और केन्द्रीयत सेवा में तैनाती की नगर पालिका परिषद्/नगर निगम में उन्हें अपने मूल वेतन व समय–समय पर लागू महंगाई भत्ते पर 12 प्रतिशत की दर से या जो भी दर भविष्य में संशोधित हो की दर से पेंशन अंशदान प्रत्येक माह नगर निगम काशीपुर को भेजना होगा।

प्रतिबन्ध है कि इस खण्ड के अन्तर्गत किये गये विकल्प (आप्सन) मान्य होंगे जो इन विनियमों के प्रभावी होने के दिनांक के बाद इस हेतु अन्तिम रूप से निर्धारित दिनांक तक चाहे सेवा में रहते हुए या सेवा से निवृत्त होने के बाद किये गये हों यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी व उसका आश्रित इन विनियमों के प्रभावी होने में किसी विलम्ब होने के कारण विकल्प (आप्सन) करने के बाद अपना भविष्य निधि नगर निगम अंशदान सहित वापस ले चुका हो तो वह अधिकारी अथवा उसका आश्रित भी उन विनियमों के अन्तर्गत देय सुविधा प्राप्त कर सकेगा। यदि वह उठाये नगर निगम के अंशदान को प्रोविडेन्ट फण्ड से वापस लेने के दिनांक से पुनः जमा करने के दिनांक तक डाकखाने में बचत खातों में समय–समय पर निर्धारित ब्याज सहित एक बार में निर्धारित तिथि तक जमा कर दे, किन्तु यदि किन्हीं परिस्थितियों में नगर निगम अंशदान का कोई धारा निर्धारित तिथि तक जमा करने से रह जाते हैं, तो वह बाद में मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से जमा किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण–

(1) इन विनियमों को अंगीकार करने वाले अधिकारी के भविष्य निधि के खाते में जमा धन उसके ऊपर बकाया अग्रिम तथा उसके बीमा की किश्तों में दिये गये रुपये तथा उस पर जोडे गये ब्याज को मिलाकर होने वाले धनांक का एक तिहाई भाग नगर निगम/म्युनिसिपल बोर्ड तथा अन्य स्थानीय निकाय या सरकार केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार का अनुदान समझा जायेगा यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को इस वितरण में कोई आपत्ति हो तो यह इन विनियमों को अंगीकार करने वाले प्रार्थना–पत्र के साथ अपनी आपत्ति मुख्य नगर अधिकारी को भेजा जा सकता है। जो अन्तिम रूप से नगर निगम का अंशदान निश्चित और निर्धारित करेंगे।

(2) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के न्यूनतम अंशदान (सब क्रिप्सन) से अधिक अंशदान किसी भविष्य निधि में जमा किया हो तो इस प्रकार के अधिक अंशदान का धन उसके सामान्य भविष्य निधि में जमा किया जायेगा तथा शेष धनराशि का 1/3 भाग नगर निगम का अनुदान होगा।

भाग–1

(डैथ–कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी)

(मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान)

1– जिन अधिकारियों/कर्मचारियों पर यह विनियम लागू होंगे, उनकी सेवा निवृत्ति पर उपादान "ग्रेच्युटी" दिया जायेगा जो उनकी परिलब्धियों के 16 गुने से अधिक न होकर वह धन होगा जो उनके द्वारा की गयी सेवा के प्रत्येक छमाही अवधि के अन्तिम आहरित उपलब्धियों के बराबर होगी।

2– यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन केस निस्तारित होने के पूर्व मृत हो जाये तो उसे देय उपादान की धनराशि उनके द्वारा मनोनीत किये हुए व्यक्ति या व्यक्तियों को किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति मनोनीत न किया गया हो तो इसी विनियम के उप विनियम–2 में दी गयी परिभाषा के अनुसार परिवार के सभी सदस्यों को बराबर–2 देय होगा।

3– उप नियम (1) और (2) के अन्तर्गत मिलने वाला उपादान 10,00000 (दस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगा तथा शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए समय–समय पर निर्धारित सीमा तक ही उपादान देय होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि–

4– सेवा निवृत्ति/डैथ कम ग्रेच्युटी को गणना हेतु सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य महंगाई भत्ते को सम्मिलित किया जायेगा।

(क) उप विनियम (1) से (4) तक वर्णित निवृत्ति उपदान केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्होंने पाँच वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो उदाहरण यदि मूल नियम 9(21)(1) वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड द्वितीय भाग–2 से 4 में परिभाषित वेतन रु0 16050/– और पेंशन अर्ह सेवा 30 वर्ष 6 माह है। तो सेवा निवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) 16050X61/4=2,44,762 रुपया होगी।

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी मृत्यु उपादान (ग्रेच्युटी) दरे निम्न प्रकार हैं:–

सेवा अवधि के अनुसार–

1. एक वर्ष से कम–परिलब्धियों का दो गुना।
2. एक वर्ष अथवा उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम–परिलब्धियों का छः गुना।
3. 5 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम परिलब्धियों का 12 गुना।
4. 20 वर्ष या उससे अधिक अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही के लिए परिलब्धियों से 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित अर्द्ध परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रुपये दस लाख जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी–यह दरें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य कर्मचारियों के लिए संशोधित दरों पर परिवर्तनीय होगी।

5– नामांकन (नोमिनेशन)–

(1) प्रत्येक नगर निगम कर्मचारी जिसे यह विनियम लागू हो ज्यों ही वह किसी स्थाई सेवा निवृत्ति वेतनीय पद पर धारणाधिकार (लियन) प्राप्त करे उसे एक अथवा अधिक व्यक्तियों को उपादान (ग्रेच्युटी) जिससे विनियम–4 के उपविनियमों के अनुसार प्राप्त करने के लिए नामांकित करेगा। प्रतिबन्ध यह है कि नामांकन करते समय अधिकारी का परिवार हो तो नामांकन परिवार के किसी एक सदस्य अथवा अधिक सदस्यों का कर सकता है। लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि परिवार सदस्यों के होते हुए परिवार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को नहीं कर सकता है।

(2) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो वह परिवर्तन उस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने सेवाकाल में ही किया जा सकता है। किन्तु यदि आवश्यक हो तो सेवा निवृत्ति के बाद भी मुख्य नगर अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से उसे नामांकन पत्र में अपने पहले किये हुए नामांकन में परिवर्तन अथवा नया नामांकन प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को नामांकन पत्र में निम्नाकित व्यवस्था करनी होगी:–

(क) कि किसी निर्दिष्ट नामांकित व्यक्तियों का अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उस नामांकित व्यक्ति का अधिकार नामांकन पत्र में दिये हुए किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को ही की जावे किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि नामांकन करते समय अधिकारी के परिवार में एक से अधिक सदस्य हों तो इस प्रकार निर्दिष्ट किया हुआ व्यक्ति उसके परिवार के किसी सदस्य के अतिरिक्त न हो।

(ख) कि ऊपर कही हुई परिस्थिति के उत्पन्न होने पर नामांकन निरर्थक हो जायेगा।

(4) किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उस समय का किया हुआ नामांकन जैसे परिवार नहीं था अथवा नामांकन में उपनियम (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत की हुई व्यवस्था अब उसके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति था, जैसी भी दशा हो, उस समय निरर्थक हो जायेगी, जब उसके परिवार हो जाये अथवा परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य हो जाये।

(5) (क) प्रत्येक नामांकन (क) से (घ) तक के किसी प्रपत्र में जो भी व्यक्ति विशेष की स्थिति में उचित हो, किया जायेगा।

(ख) कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी समय अपने नामांकन को मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनीत किये गये अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर रद्द कर सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह अधिकारी/ कर्मचारी उस नोटिस के बाद एक नया नामांकन पत्र इन विनियमों के अनुसार नोटिस दिये जाने की तिथि से 15 दिन के अन्दर मुख्य नगर अधिकारी को प्रेषित कर दे।

(6) किसी नामांकित व्यक्ति जिसके अधिकार को उसकी मृत्यु के पश्चात् दूसरे नामांकित व्यक्ति को पाने की व्यवस्था नामांकन पत्र में उपनियम (3) के खण्ड (क) के अन्तर्गत न की गयी हो, तो अथवा किसी ऐसी घटना हो जाने पर जिसके कारण उसका नामांकित उपनियम (3) के खण्ड (ख) अथवा उपनियम (4) के अन्तर्गत निरर्थक हो जाता हो तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी मुख्य नगर अधिकारी को पूर्व नामांकन को रद्द करते हुए इन विनियमों के अनुसार नये नामांकन पत्र के साथ लिखित नोटिस भेजेंगे।

(7) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत भरे गये अपने नामांकन पत्र अथवा उसको रद्द करने का नोटिस सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनीत किये गये अधिकारी को भेजा जाना चाहिए मुख्य नगर अधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी नामांकन पत्र प्राप्त करने पर तुरन्त प्राप्ति का दिनांक लिखकर प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे। तथा अपनी अभिरक्षा में रखेंगे।

(8) किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया गया पूर्व नामांकन अथवा उसको रद्द किये जाने का नोटिस जहाँ तक वह अखण्डनीय "वैलिड" हो मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गये दिनांक से प्रभावी होगा।

(9) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी जिसका परिवार हो अपने परिवार के एक अथवा अधिक सदस्यों का मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपदान (डैथ कम रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी) पाने का नामांकन पत्र द्वारा अधिकार दिये बिना मृत हो जाये तो उपदान ग्रेच्युटी विनियम (2) के उपनियम (4) में दी हुई श्रेणी के क्रम (क) से (घ) तक दिये सभी लिखित सदस्यों को (विधवा पुत्रियों को छोड़) समान भाग में वितरित कर दिया जायेगा, यदि इस प्रकार के जीवित सदस्य न हो और एक अथवा अधिक विधवा पुत्रियां हों अथवा अधिकारी/कर्मचारी के परिवार के उपरोक्त उपनियम–2 (4) श्रेणी से क्रम में (ड) से (झ) तक वर्णित का एक या उससे अधिक सदस्य हो तो उपादन (ग्रेच्युटी) का धन उस सभी व्यक्तियों के बराबर भागों में बाँट दिया जायेगा।

भाग–2

पारिवारिक पेंशन

6– (क) पारिवारिक पेंशन– (1) पारिवारिक पेंशन की दरें निम्न प्रकार होंगी–मूल वेतन का 30 प्रतिशत किन्तु न्यूनतम रु0 3500 प्रतिमाह। यह दरें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित दरों के अनुरूप परिवर्तनीय होंगी।

2(क) पारिवारिक पेंशन के लिए परिवार की परिभाषाः–

1– पत्नी/पति

2– मृत्यु के दिन को 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र (सौतेले तथा सेवा निवृत्ति से पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तान भी सम्मिलित है) को इस प्रतिबन्ध के साथ यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो।

3– मृत्यु के दिन को 25 वर्ष से कम आयु की अविवाहित पुत्रियाँ को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाय अथवा 25 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इसमें सौतेली तथा सेवानिवृत्त पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तानें भी सम्मिलित होंगी।

(ख) पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित दशाओं में अनुमन्य होगी :–

क– सर्वप्रथम विधवा/विधुर को आजीवन या पुनर्विवाह जो भी पहले हो तक मिलेगा।

ख– विधवा/विधुर की मृत्यु पुनर्विवाह की दशा में ज्येष्ठतम नाबालिक पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक मिलेगी।

टिप्पणी–जहाँ दो या दो से अधिक विधवायें तो पेंशन ज्येष्ठतम उत्तरजीवी विधवा को देय होगी। शब्द ज्येष्ठतम का तात्पर्य विवाह के दिनांक के वरिष्ठता से है।

ग– इस विनियम के अधीन दी गयी पेंशन एक ही समय में अधिकारी/कर्मचारी के परिवार के एक से अधिक सदस्यों को देय नहीं होगी।

घ– विधवा/विधुर का पुनर्विवाह/मृत्यु हो जाने पर पेंशन उनके अवयस्क सन्तानों को उनके प्राकृत अभिभावक (नेचुरल गार्जियन) के माध्यम से दी जायेगी किन्तु विवादास्पद मामलों में भुगतान विधिक अभिभावक (लीगल गार्जियन) के माध्यम से दिया जायेगा।

ङ– इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पेंशन नियमों में संशोधन करने पर सम्बन्धित नियम नगर निगम काशीपुर कर्मचारी सेवा निवृत्ति सुविधा तथा भविष्य निधि विनियम, 2014 पर भी स्वतः लागू होंगे।

भाग–3

सेवा–निवृत्ति पेंशन

(1) अधिवर्षता/सेवा निवृत्ति अशक्त या अन्य प्रकार से निवृत्ति वेतन या उपादान धनराशि उत्तराखण्ड के राज्य कर्मचारियों पर लागू प्रक्रिया और सूत्र के अनुसार संगणित समुचित धनराशि होगी और वह धनराशि पूरे रुपये में अभिव्यक्त की जायेगी, तथा जहाँ भी नियमानुसार गणना करने पर जारी निवृत्ति वेतन में रुपये से कम कोई धन हो तो वह अगले पूर्ण रुपये में बदल दी जायेगी।

(2) उत्तराखण्ड सरकार के सेवा निवृत्ति राज्य कर्मचारियों अर्थात् पेंशनरों को महंगाई या अन्य प्रकार की स्वीकृति की गयी धनराशि के अनुसार नगर निगम काशीपुर में पेंशनरों को देय होगी।

(3) कोई विशिष्ट अतिरिक्त पेंशन स्वीकृति नहीं की जायेगी।

(4) पद अक्षम और प्रतिकर पेंशन का वही अर्थ होगा जो सिविल सर्विस रेगुलेशन में उसे लिये दिया गया हो।

8. रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स तथा सिविल सर्विस का प्रयोग–

(1) इन विनियमों में दी गयी स्पष्ट व्यवस्था को छोड़कर इन विनियमों के अन्तर्गत देय उपादान, निवृत्ति वेतन, जिसमें पारिवारिक सेवा निवृत्ति वेतन, भी सम्मिलित है– तथा सामान्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961 तथा समय–समय पर उनके किये गये परिवर्तन तथा इस सम्बन्ध में जारी किये गये सरकारी आदेश लागू होंगे। यदि किसी विषय में इन विनियमों में स्पष्ट व्यवस्था न हो तो उस सम्बन्ध में सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के आधार पर मुख्य नगर अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) इन विनियमों के अन्तर्गत देय निवृत्ति वेतन (पेंशन) सम्बन्धित अधिकारी को उनकी मृत्यु के दिन तक दी जायेगी। यदि अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त होने से पूर्व ही मृत हो जाये तो कोई निवृत्ति वेतन (पेंशन) उसे देय नहीं होगी।

पेंशन आगणन

(क) पेंशन की धनराशि मूल नियम 9(21) (1) में परिभाषित सेवा निवृत्ति के अन्तर्गत उस मास के वेतन का 50 प्रतिशत होगी, बशर्ते निगम के अधिकारी/कर्मचारी ने 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो यदि पेंशन अर्हकारी सेवा की अवधि कम हो तो पेंशन की धनराशि उसी अनुपात में कम हो जावेगी।

(ख) 10 वर्ष से कम अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनमुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भाँति केवल सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी।

उदाहरणः– यदि काई अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 28–02–2013 को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सेवा निवृत्त होता है और उसका वेतन उस तिथि में रुपये 10,000 था तो उसकी औसत परिलब्धि निम्न प्रकार होगी।

मूल वेतन 10,000x10=1,00,000.00

औसत वेतन 100000/10=10,000.00

10,000x20/40=5000.00 या अन्तिम आहरित वेतन का 50 फीसदी

यदि उक्त तिथि को उस 15 वर्ष पूर्ण कर लिये हो तो पेंशन निम्नवत् होगी।

10,000x15/40=3750

80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन देय होगीः–

पेंशन/पारिवारिक पेंशनरों की आय	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	30 प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 से कम तक	50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

(ग) परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि ₹ 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिकतम वेतन 01–01–2006 से ₹ 80,000/– के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि कोई सेवक एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है तो समस्त पेंशन की धनराशि को जोड़कर न्यूनतम ₹ 3500/–निर्धारित की जायेगी।

(घ) 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पर अन्तिम माह में आहरित वेतन या 10 माह का औसत परिलब्धियाँ जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी।

(ङ) 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनर्स से/पारिवारिक पेंशनर्स के 01–01–2006 से अनुमन्य पेंशन पर नियमानुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य कराई जायेगी। यह दरें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य कर्मचारियों के लिए संशोधित दरों के अनुसार परिवर्तनीय होगी।

भाग–4

सारांशिकरण (कम्यूटेशन)

प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जिसे इन विनियमों के विनियम 7 के अन्तर्गत निवृत्ति वेतन मिलता है, उसे अपने सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) के धनांक के 40 प्रतिशत भाग तक किसी भाग के सांराशिकरण कम्यूटेशन कराने का अधिकार होगा, तथा इस सम्बन्धित में उत्तर–प्रदेश सिविल पेंशन कम्यूटेशन रूल्स इस प्रतिबन्ध के साथ लागू होंगे, कि उक्त कम्यूटेशन रूल्स के नियम–18 के तात्पर्य के लिए मुख्य नगर अधिकारी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास परीक्षण हेतु भेजेंगे तथा इस हेतु शासन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क प्रार्थी द्वारा उनके कार्यालय में जमा की जायेगी। पेंशन राशिकरण हेतु शासन द्वारा एक तालिका जारी की गयी है जिसमें दो स्तम्भ (कॉलम) है। प्रथम पेंशनर की आयु दर्शाता है और दूसरे में राशिकरण की वह दर अंकित है जो प्रति एक रुपये प्रतिवर्ष की समर्पित पेंशन के लिए देय होती है। राशिकरण के आगणन हेतु किसी पेंशनर से आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर उसके आगामी जन्म दिवस पर आयु के वर्ष आगणित किये जाते हैं। तदोपरान्त उक्त तालिका में इस आयु के सम्मुख अंकित दर को 12 से गुणा किया जाता है एवं इस प्रकार प्राप्त होने वाले गुणनफल को पुनः पेंशनर द्वारा समर्पित पेंशन की धनराशि से गुणा किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले गुणनफल के समतुल्य धनराशि ही पेंशनर को राशिकरण के रूप में देय होती हैं यह धनराशि पूर्ण रुपयों में पूर्णांकिंत की जाती है।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्त वि0आ0–सा0 नि0 अनुभाग–7 संख्या–419/XXVII(7)2008 देहरादून दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 में संलग्न राशिकरण तालिका :–

1.00 रुपयें वार्षिक पेंशन पर राशिकरण मूल्य

अगली जन्म तिथि पर आयु	राशिकरण मूल्य क्रय किये गये दरों की संख्या पर	अगली जन्म तिथि पर आयु	राशिकरण मूल्य क्रय किये गये वर्षों की संख्या पर
1	2	3	4
17	19.28	51	12.95
18	19.20	52	12.66
19	19.11	53	12.35
20	19.01	54	12.05
21	18.91	55	11.73
22	18.81	56	11.42
23	18.70	57	11.10
24	18.59	58	10.78
25	18.47	59	10.46
26	18.34	60	10.13
27	18.21	61	9.81
28	18.07	62	9.48

1	2	3	4
29	17.93	63	9.15
30	17.78	64	8.82
31	17.62	65	8.50
32	17.46	66	8.17
33	17.25	67	7.85
34	17.11	68	7.53
35	16.92	69	7.22
36	16.72	70	6.91
37	16.52	71	6.66
38	16.31	72	6.30
39	16.09	73	6.01
40	15.87	74	5.72
41	15.64	75	5.44
42	15.40	76	5.17
43	15.15	77	4.90
44	14.90	78	4.95
45	14.64	79	4.40
46	14.37	80	4.17
47	14.10	81	3.94
48	13.82	82	3.72
49	13.54	83	3.52
50	13.25	84	3.32
		85	3.13

सेवा निवृत्ति अथवा पी0पी0ओ0 की तिथि से एक वर्ष के भीतर राशिकरण आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के 40 प्रतिशत भाग के राशिकरण के प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षा से छूट अनुमन्य होती है।

पेंशन के राशिकरण भाग को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष अथवा राशिकरण के फलस्वरूप पेंशन की राशि से जब से कमी की गयी हो उसके 15 वर्ष बाद पुनर्स्थापित कर दी जायेगी।

संराशिकरण की गणनाः– उदाहरण–

अधिकारी कर्मचारी की पेंशन ₹ 5000/– निर्धारित होती है अतः राशिकरण की राशि 2000X8.194X12=196656.00

राशिकरण स्वीकृति हेतु प्रार्थना–पत्र पेंशन स्वीकृति के उपरान्त ही दिया जा सकता है।

(2) राशिकरण स्वीकृति उसकी धनराशि कम करने उसे बिना कारण बताये अस्वीकृत करने तथा उस संदर्भ में सूचनाएं माँगने का अधिकार मुख्य नगर अधिकारी को है।

(सि0पें0 कम्यूटेशन नियम संख्या–3 बी)

(3) विनियम संख्या–7 के अनुसार स्वीकृत पेंशन की धनराशि के एक तिहाई भाग तक संराशित कम्यूट कराया जा सकता है।

(4) संराशिकरण की स्वीकृति अग्रसारित प्रयोजनों हेतु दी जा सकती हैः–

क– निवास भवन के निर्माण या क्रय

ख– लिये गये ऋण की अदायगी

ग– बच्चों या आश्रितों की शिक्षा

घ– विवाह व्यय हेतु

ङ– व्यापार प्रारम्भ

(सि0पें0 कम्यूटेशन नियम संख्या–4 बी)

(5) कोई भी संराशिकरण तब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता जब तक प्रार्थी के स्वास्थ्य तथा संभावित जीवन के सम्बन्ध में स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को पूर्ण संतोष न हो जाये कि प्रार्थी द्वारा दिये गये सभी विवरण पूर्णतः सत्य हैं एवं बची हुई पेंशन प्रार्थी व उसके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। यदि किसी समय स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाये कि कोई सूचना प्रार्थी द्वारा असत्य दी गयी है या कोई तथ्य छिपाया गया है तो भुगतान से पूर्व भी संराशिकरण की स्वीकृति रद्द की जा सकती है।

(सि0पें0 कम्यूटेशन नियम संख्या–7)

(6) संराशिकरण की धनराशि समय–समय सरकारी कर्मचारियों के लिए इस हेतु निर्धारित आधार पर निकाली जायेगी तथा चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आयु जो किसी भी दशा में पंजीकृत आयु से कम न होगी सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित आधार पर तालिका इससे पूर्व में दी गयी है।

(सि0पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–8)

(7) संराशिकरण हेतु प्रार्थना–पत्र विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष जिसके अधीन पेंशनर सेवा निवृत्ति से पूर्व कार्यरत था, के माध्यम से स्वीकृति प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिये।

(सि0पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–14 के आधार पर)

(8) विभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष को प्रार्थना–पत्र में दिये विवरणों की तथा विशेष रूप से यह जाँच करनी कि संराशिकरण प्रार्थी के स्पष्ट और स्थाई हित में है। यदि वह स्थिति से संतुष्ट हो तो उसे प्रार्थी से चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्राप्त कराकर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ–साथ प्रार्थना–पत्र तथा चिकित्सा प्रमाण–पत्र लेखा अधिकारी को भेजना चाहिए।

(9) चिकित्सा प्रमाण–पत्र देने के लिए निर्धारित प्राधिकारी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किया गया है। प्रार्थी शासन द्वारा निर्धारित शुल्क मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करके आगे दिये गये पत्र पर चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक संराशिकरण के प्रार्थना–पत्र के लिए अलग–2 चिकित्सा प्रमाण–पत्र आवश्यक होगा। यदि प्रार्थी शुल्क जमा करने के बाद चिकित्सा परीक्षा न कराये तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शुल्क लौटाने की स्वीकृति देने पर शुल्क लौटाया जा सकेगा।

(सिं0पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–22 के आधार पर)

(10) लेखा अधिकारी आवश्यक जाँच के बाद संराशिकरण की धनराशि तथा संराशिकरण के बाद देय पेंशन की धनराशि निर्धारित करके मुख्य नगर लेखा परीक्षक को आवश्यक जाँच हेतु भेजेंगे, और उनके प्रमाण–पत्र के आधार पर संराशिकरण के प्रभावी होने का दिनांक भरकर लेखाधिकारी स्वीकृति प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेंगे तथा आवश्यक भुगतान तथा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका में तद्नुसार प्रविष्टियाँ करने की कार्यवाही करेंगे। संराशिकरण की स्वीकृति की सूचना लेखाधिकारी की पेंशनर को इस प्रकार भेजना उचित है कि वह उसे प्राप्त कर समय से भुगतान कर सके।

(11) संराशिकरण स्वीकृति आदेश के दिये गये दिनांक से ही प्रभावी होगा। यह दिनांक स्वीकृति आदेश के पारित होने के प्रायः 15 दिन बाद होना उचित है तथा सारी गणना इसी आधार पर होनी चाहिए और संराशिकरण का धनांक यथासम्भव उसी दिन भुगतान किया जाना चाहिये।

(सिं0पें0 कम्यूटेशन रूल्स संख्या–10 व 11 के आधार पर)

(12) प्रार्थी स्वीकृति से पूर्व तक अपना प्रार्थना–पत्र वापस ले सकता है। संराशिकरण स्वीकृति हो जाने के बाद संराशिकरण का धन प्राप्त न करने तथा उसे लौटाने तथा पूरी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार प्रार्थी को नहीं होगा और न वह स्वीकृत किया जा सकता है।

(13) यदि संराशिकरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के दिनांक या उसके बाद बिना संराशिकरण का धन प्राप्त किये पेंशनर मृत हो जाये तो सारा धन उसके उत्तराधिकारियों को भुगतान किया जायेगा।

(सिं0पें कम्यूटेशन रूल्स संख्या–13)

(14) 1–यदि चिकित्सापरीक्षक की राय में किसी ऐसी विशेष परीक्षक की आवश्यकता हो जिसे वह नहीं कर सकता है तो वह परीक्षा प्रार्थी के व्यय पर करायी जायेगी। संराशिकरण स्वीकृत न होने पर इस प्रकार के व्यय की पूर्ति नगर निगम द्वारा नहीं की जायेगी।

2– किसी पेंशनर के निम्नलिखित में किसी भी एक रोग से प्रभावित होने पर पेंशन के किसी भाग का संराशिकरण नहीं किया जा सकता है:–

रोगों के नाम–

1–एन्यूरिजम 9–एनाजिला पेवटाशिस

2–टयबरक्लोसिस आहफ लंग्स 10–एपोलेक्सी

3–डायोबिटीज 11–एसीटीज

4–हाई ब्लड प्रेशर 200 सिस्टामिक से ऊपर 12–बैरीबेरी

5–हाई ब्लड प्रेशर 160 सिस्टामिक से ऊपर (एल्कोन्यूवेरिया के साथ) 13–केंसर के ऑपरेशन के बाद

6–अनकम्पनसटेड कार्डिक डीजीज 14–मिटल एटोनोसिस

7–परनिशस एनिमिया कीयिवा 15–इनसैनिटी

8–ल्यूकोरिया

(सिं0पें कम्यूटेशन रूल्स संख्या–18)

(15) चिकित्सा प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र के प्रथम भाग को पेंशनर से अपने सामने भराना चाहिये तथा उसके बाद उसकी पूरी चिकित्सा परीक्षा करके अपनी सम्मति, यह स्पष्ट करते हुए कि प्रार्थी ने कहाँ तक सही सूचना दी हैं, देनी चाहिये। चिकित्सा प्राधिकारी को प्रपत्र का भाग प्रार्थी के सामने भर के उसके हस्ताक्षर तथा उसके बांये हाथ का अंगूठा व उंगलियों के निशान करा लेने चाहिए। प्रार्थी की आवश्यकता के कारणों पर विचार करके अपनी सहमति देनी चाहिए।

(सिं0पें कम्यूटेशन रूल्स संख्या–19)

(16) सिं0पें0 कम्यूटेशन रूल्स के नियम–24 के अनुसार यदि कोई पेंशनर चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिक आयु को स्वीकार न करें अथवा जिसे चिकित्सा परीक्षा में संराशिकरण के योग न पाया जाये तो उसे अपने व्यय से चिकित्सा प्राधिकारी के सम्मुख दोबारा उपस्थित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों पर दी जा सकती हैं:–

1– पहली तथा दूसरी चिकित्सा परीक्षा में समय का अन्तर एक वर्ष से अधिक हो।

2– दूसरी चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा परिषद् द्वारा हो तथा,

3– चिकित्सा प्राधिकारी को पिछली चिकित्सा परीक्षा से एक वर्ष से अधिक लिखित प्रमाण के अतिरिक्त पिछली चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी भेजी जानी चाहियें।

भाग–5

विविध

नगर निगम पावतों की वसूल

10. (1) मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से उपादान अथवा स्वीकृत पारिवारिक पेंशन के धनांक से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नगर निगम को देय कोई धन काटा जा सकता है।

बर्खास्तगी का प्रभाव–

(2) यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी कारण बर्खास्त कर दिया गया हो अथवा निकाल दिया गया हो तो साधारणतया से अथवा उसके परिवार को कोई उपादान अथवा पेंशन देय न होगी, किन्तु यदि कार्य कारिणी समिति ऐसा निश्चय करें तो विनियम–4 के अन्तर्गत प्राप्त हो सकने वाले उपादान के धनांक का आधा दया के आधार पर स्वीकृत कर सकती हैं।

11. नियुक्ति वेतन निधि तथा अंशदान–

इन विनियमों के अन्तर्गत जिन पर यह विनियम लागू हों उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत की दर से अथवा समय–समय पर शासन द्वारा संशोधित दरों पर पेंशन अंशदान प्रत्येक मास उस तिथि से जिससे उनका वेतन देय हो निकाल कर सेवा निवृत्ति वेतन निधि में जमा करेंगे। यह निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी। यदि किसी समय उपरोक्त खाते में सेवा निवृत्ति वेतन अथवा उपादान के भुगतान के लिए आवश्यकतानुसार धन न हो तो मुख्य नगर अधिकारी निगम निधि राज्य वित्त आयोग/अन्य राजकीय अनुदानों से मिलने वाली धनराशि से व्यवस्था कर जमा करेंगे।

12. निवृत्ति वेतन और उपादान के स्वीकृत विधि–

1–(क) प्रत्येक अधिकारी के सेवा निवृत्ति होने के बाद और प्रत्येक दशा में उसके एक महिने के भीतर उसके विभागीय प्रविष्टियों सेवा पुस्तिका या सेवा रोल में अधिकृत अधिकारी द्वारा उल्लिखित की जायेगी।

(ख–1) विभागीय अधिकारी द्वारा सारी जाँच आवेषण के प्रकार तथा परिणाम अभिलिखित कर दिये जाना चाहियें।

(ख–2) सेवा की अवच्छिन्नता समानान्तर प्रमाण पर निर्धारित की जानी चाहियें। जहाँ तक सम्भव हो प्रथम वर्ष और अन्तिम तीन वर्षों की सेवा निश्चित् रूप से प्रमाणित की जानी चाहियें। प्रथम वर्ष सेवा, यदि वे मिल सके तो सेवा पुस्तिका, स्केल, रजिस्टर, एक्वेन्टेस रोल अथवा असली वेतन बिल से की जानी चाहियें। यदि इस प्रकार के लेखा रिकार्ड उपलब्ध न हो तो प्रथम वर्ष की सेवा के लिए उस अधिकारी जिस पर पेंशन सम्बन्धित पत्रावली तैयार करने का दायित्व हो, का अभिलेख स्वीकार किया जायेगा। विभागीय अधिकारी को प्रथम वर्ष की सेवा के प्रमाणीकरण उपरोक्त आधार पर ही करना चाहियें। यदि पेंशन का आधार समकालीन सहवर्ती प्रमाण–पत्र पर आधारित हो तो उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहियें, अन्तिम तीन वर्ष की सेवा का प्रमाणीकरण उपरोक्त आधार पर वास्तविक अभिलेखों द्वारा किया जाना चाहिये इससे पूर्व की सेवाकाल को भी जो सहवर्ती प्रमाण उपलब्ध हो उसके आधार पर स्वीकार कर लेना चाहियें।

(ख–3) यदि किसी सेवा काल को ख–2 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाता हो और उस काल में उपयोग किये गये सवैतनिक अथवा अवैतनिक अवकाशों के प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध हो तो उस समय के लिए स्वीकृत सेवा काल निम्न प्रकार निकाला जायेः–

(1) उपार्जित अवकाश के लिए यह माना जाना चाहिये कि अधिकारी ने पूरा अवकाश उपभोग किया है। अन्य देय अवकाश के सम्बन्ध में अब तक अन्यथा प्रमाण न हो तो यह माना जाना चाहिये कि उनका उपभोग किया गया है। यदि अधिकारी ने अवैतनिक अवकाश प्रायः लिया हो और उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध न हो या शंकाजनक हो तो किसी एक वर्ष में ऐसे अवकाश का अधिकतम काल ही उतना इस प्रकार अवकाश विवरण उपलब्ध न होने वाले या शंकाजनक सेवाकाल के पूरे वर्षों में प्रत्येक वर्ष माना जायेगा।

(2) यदि किसी अधिकारी की सेवा–पुस्तिका या सेवा रोल अथवा लेखों में उसके बिना वेतन अनुपस्थित के प्रमाण पाये जाते हैं और इस प्रकार की अनुपस्थिति के बाद भी अन्य प्रयोजनों के लिए उसकी सेवा लगातार मानी गयी हो तो किसी एक वर्ष में ऐसी अनुपस्थिति का जो अधिकतम काल हो उतनी अनुपस्थिति उसके सेवाकाल से प्रत्येक वर्ष में मानी जायेगी जिसका पूरा विवरण सेवा–पुस्तिका या सेवा रोल के अभिलिखित नहीं हैं।

(ख–4) यदि सेवा–पुस्तिका या सेवा रोल उपलब्ध है और उसकी प्रविष्टियों की पुष्टि या प्रमाणीकरण न हुआ हो तो उसमें दिये गये सेवाकाल को व्यक्तिगत पत्रावलियों आदि उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर प्रमाणित किया जाना चाहिए। जहाँ इस प्रकार के अभिलेख उपलब्ध न हो तो उस काल के लिए अधिकारी से सादे कागज पर दो सहवर्ती अधिकारियों द्वारा प्रमाणित अभिलेख प्राप्त करके रखना चाहिये यदि इस प्रकार का प्रमाण स्वीकार करने में कोई कठिनाई प्रतीत हो तो विभागीय अधिकारी द्वारा अपना अभिमत उल्लिखित कर देना चाहिये तथा उसी के अनुसार सेवाकाल स्वीकार किया जाना चाहिये।

(ख–5) पेंशन सम्बन्धी विवरण का ऑडिट निम्नांकित विधि से किया जायेगा, जब तक कोई विशेष आशंका न हो साधारणतया सारी सेवा के सम्बन्ध की प्रविष्टियों की पुष्टि के लिए निम्नलिखित की विशेष जाँच की जानी चाहिएः–

(2) यदि किसी अधिकारी की सेवा–पुस्तिका या सेवा रोल अथवा लेखों में उसके बिना वेतन अनुपस्थित के प्रमाण पाये जाते हैं और इस प्रकार की अनुपस्थिति के बाद भी अन्य प्रयोजनों के लिए उसकी सेवा लगातार मानी गयी हो तो किसी एक वर्ष में ऐसी अनुपस्थिति का जो अधिकतम काल हो उतनी अनुपस्थिति उसके सेवाकाल से प्रत्येक वर्ष में मानी जायेगी। जिसका पूरा विवरण सेवा–पुस्तिका या सेवा रोल से अभिलिखित नहीं है।

(क) स्थायी नियुक्ति की प्रथम वर्ष की सेवा तथा पूर्व की अर्हकारी सेवा।

(ख) अन्तिम तीन वर्षों की अर्हकारी सेवा।

(ग) अकस्मात चुने गये किसी दो या तीन वर्षों की सेवा।

(घ) यदि सेवा–पुस्तिका में जन्म तिथि, परिवर्तन, बर्खास्तगी आदि की प्रविष्टियाँ हो तो उनकी विशेष जाँच की जानी चाहिये।

(ङ) यदि किसी अधिकारी का सेवाकाल 33 वर्ष से अधिक का हो तो उसकी स्थायी नियुक्ति के प्रथम वर्ष के पूर्व की प्रविष्टियों की जाँच आवश्यक नहीं उसकी सेवा–पुस्तिका तथा सम्बन्धित अन्य विवरणों को प्रपत्र (च) के साथ पूरा करके लेखाधिकारी को भेजेंगे। लेखाधिकारी सेवा निवृत्ति वेतन के धनांक तथा अन्य विवरणों की जाँच करके मुख्य नगर लेखा परीक्षक को जाँच के लिए सम्बन्धित कार्यालय भेजेंगे। उनकी जाँच के बाद उपादान या सेवा निवृत्ति वेतन तथा उपादान का धनांक मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के विषय में स्वीकृत किया जायेगा तथा लेखाधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका प्रपत्र छ अधिकारी को भेजी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक (अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में) का यह सन्तोष हो जाये कि किसी अधिकारी के उपादान तथा सेवा निवृत्ति वेतन पेंशन की स्वीकृति में अत्यधिक विलम्ब होगा तो वह सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रपत्र झ में घोषणा–पत्र देने पर अप्रत्याशित मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान और सेवा निवृत्ति वेंतन पेंशन का भुगतान स्वीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार के भुगतान का धन लेखा अधिकारी द्वारा अत्यधिक सावधानी पूर्वक ऐसे संक्षिप्त परीक्षण, जिसे वह अविलम्ब कर सकें, निर्धारित किये गये मृत्यु सम्मिलित सेवा निवृत्ति उपादान और मासिक सेवा निवृत्ति वेतन की धनराशि का 75 प्रतिशत से अधिक न होगा।

(2) सेवा निवृत्ति वेतन और उपादान की भुगतान की विधि–

सेवा निवृत्ति वेतन लेखा अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा। भुगतान चैक द्वारा किया जायेगा। भुगतान के लिए सेवा निवृत्ति वेतन पाने वाले व्यक्तियों को अपनी सेवा निवृत्ति वेतन पुस्तिका तथा प्रपत्र ज में आवश्यक विवरण भरकर लेखाधिकारी को देना होगा। प्रपत्र ज व निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पाने पर लेखाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी उपस्थिति व जीवित होने के प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर करेगा तद्परान्त पेंशनर को चैंक दी जायेगी इन विनियमों के अन्तर्गत भुगतान होने वाले उपादान के भुगतान में भी निवृत्ति वेतन के भुगतान की रीति काम में लायी जायेगी।

(3) यदि कोई अधिकारी अपने सेवा निवृत्ति वेतन का भुगतान डाकघर के मनीआर्डर द्वारा चाहता है तो वह प्रपत्र ज भरकर उस पर पिछले मास का सेवा निवृत्ति वेतन का भुगतान की नीति और दिनांक लिखकर अपने जीवित होने का किसी राजपत्रित (गजेटेड) अधिकारी से मोहर के साथ प्रमाणित कराकर लेखा अधिकारी को भेजेंगे और लेखाधिकारी सेवा निवृत्ति के वेतन के धनांक से मनीआर्डर कमीशन काटकर शेष धन मनीआर्डर से भेजेंगे और किये गये भुगतान की सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पत्रिका की कार्यालय में प्रविष्ट करेंगे। किसी भी दशा में 12 मास करने के पूर्व अधिकारी/कर्मचारी की सेवा निवृत्ति वेतन भुगतान आदेश पंजिका प्रतिलिपि में लेखा अधिकारी प्रविष्टियाँ पूरी करेंगे।

(4) पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के सेवा निवृत्तिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन के सुविधाजनक भुगतान निगम प्रशासन द्वारा बैंक में पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के खाते खुलवाकर उनके माध्यम से जमा किया जायेगा। मुख्य नगर अधिकारी अपने विवेक से यथोचित निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे।

पेंशन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया

13. पेंशन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया–

मुख्य नगर अधिकारी के नियंत्रण में एक सामान्य पेंशननिधि स्थापित की जायेगी, जो काशीपुर नगर निगम पेंशन निधि के नाम से जानी जायेगी। जिसे आगे निधि कहा गया हैं। नियम–11 के द्वारा नगर निगम द्वारा देय पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि इस निधि में जमा की जायेगी।

14. रोकड़ बही रखना–

निधि में जमा किया जाने वाला समस्त धन और उससे किये जाने वाले समस्त भुगतान की प्रविष्टि मुख्य नगर अधिकारी द्वारा रोकड़ बही में की जायेगी। इस विनियमावली के संलग्न प्रपत्र ड में रखी जायेगी।

15. पेंशन अंशदान के सम्बन्ध में प्रक्रिया–

पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि प्रतिमास के छठे दिनांक से पूर्व मुख्य नगर अधिकारी द्वारा बैंक में जमा की जायेगी। इस विनियमावली से संलग्न प्रपत्र ट में चालान तैयार किया जायेगा। चालान के साथ एक सूची होगी, जिसमें सेवा के सदस्य का नाम, पदनाम, वेतन और अंशदान की धनराशि का पूर्व विवरण दिया जायेगा। यह चालान चार प्रतियों में तैयार किये जायेंगे। चालान की प्रथम और द्वितीय प्रतियाँ बैंक द्वारा जमाकर्ता को वापस दी जायेगी, और चालानों की तृतीय और चतुर्थ प्रतियाँ बैंक द्वारा जमाकर्ता को वापस दी जायेगी और चालानों की तृतीय और चतुर्थ प्रतियाँ सूची के साथ क्रमशः जमाकर्ता और बैंक द्वारा प्रतिमास के दसवें दिनांक तक मुख्य नगर अधिकारी को भेजी जायेगी। लेखा अधिकारी चालान की इन प्रतियों का मिलान करेग्र और रोकड़ बही में अंशदान की धनराशि की प्रविष्टि करेगा। चालान की प्रतियाँ लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ गार्ड फाइल में सुरक्षित रखी जायेगी।

16. लेखा बही का रखा जाना–

सम्बद्ध सेवा के सदस्य का खाता भी इस विनियमावली से संलग्न प्रपत्र ठ में रखा जायेगा। खाता बही में प्रतिमास अधिकारी को भुगतान किये गये वेतन की धनराशि और जमा किये गये अंशदान की धनराशि प्रविष्टि की जायेगी।

खाता बही में प्रविष्टियाँ चालानों की प्रतियों से की जायेंगी। और प्रत्येक मास के अन्त में खाता बही में प्रविष्टि किये गये अंशदान की धनराशि का मिलान रोकड़ बही में प्रविष्टि की गयी तत्समान धनराशि से किया जायेगा। खाता बही का पुनर्विलोकन यह निश्चित करने के लिए किया जायेगा कि समस्त सेवा के सदस्यों से सम्बन्धित पेंशन सम्बन्धी अंशदान जमा कर दिया गया है या नहीं। यदि किसी मामले में उसे जमा नहीं किया गया है, तो उसे तुरन्त जमा कराया जायेगा।

17. पेंशन आदेश भुगतान–

इस विनियमावली के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान की धनराशि स्वीकृत कर दिये जाने के पश्चात् प्रत्येक मामले में स्वीकृत की गयी पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान के भुगतान के लिए मुख्य नगर अधिकारी द्वारा इस विनियमावली के संलग्न प्रपत्र ड में पेंशन पत्र भुगतान आदेश जारी किया जायेगा। इस आदेश की प्रतियाँ पेंशन भोगी और उस विभाग को जहाँ से सम्बद्ध सेवा के सदस्य सेवा निवृत्ति हुआ हैं, को पृष्ठांकित की जायेगी।

18. लेखा परीक्षा जाँच रजिस्टर–

पेंशन भोगियों को पेंशन समय पर और ठीक ठीक भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रपत्र थ में एक लेखा परीक्षा जाँच रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर में प्रत्येक पेंशन भोगी का एक पृथक खाता खोला जायेगा।

सामान्य भविष्य निधि

19. जिन अधिकारियों को यह विनियम प्रभावी होंगे, उन्हें नगर निगम के सामान्य भविष्य निधि खाते का सदस्य होना पड़ेगा और उसमें अपने 12 पैसे प्रति रुपये से कम न होते हुए भी 25 पैसा प्रति रुपया प्रतिमाह का अपना अंशदान जमा करना पड़ेगा। अंशदान की दर उन्हें अपनी नियुक्ति के शीघ्र बाद घोषित कर देना पड़ेगा। जब तक कि इसमें किसी परिवर्तन का नोटिस मुख्य नगर अधिकारी अथवा मुख्य नगर लेखा परीक्षक को किसी वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में न दें, अगले वर्ष के लिए वही दर बनी रहेगी तथा वर्ष के बीच अंशदान की पूर्व दर में कोई परिवर्तन स्वीकृत न किया जायेगा।

20. भविष्य निधि के अंशदान में काटा गया धन प्रतिमास की 10 तारीख से पहले बैंक में जमा कर दिया जायेगा जिससे उसमें ब्याज मिल सके।

21. मुख्य नगर अधिकारी को यह अधिकार होगा कि अधिकारी/कर्मचारी की लिखित सहमति से सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धन में से बैंक एल0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्रों में विनियोजित कर दें।

22. प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को भविष्य निधि का सदस्य होने पर उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके खाते में जमा भविष्य निधि धन का भुगतान के लिए नामांकन पत्र विनियम 6 के अनुसार देना होगा। यह नामांकन पत्र मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायेंगे और प्राप्ति की दिनांक लिखकर तथा आवश्यक रजिस्टर में दर्ज करके अपने अभिरक्षा कस्टडी में रखे जायेंगे।

23. सामान्य भविष्य निधि में जमा हुए धन में से यदि कोई अधिकारी चाहे तो मुख्य नगर अधिकारी उसे अस्थायी अग्रिम/ऋण स्वीकृत कर सकते हैं। इन अग्रिमों की स्वीकृति तथा उनकी वसूली की निम्नलिखित विधि अपनाई जायेगी:–

(1) साधारणतः अग्रिम की धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के तीन मास के वेतन से अधिक न होगी। विषम परिस्थितियों में मुख्य नगर अधिकारी अपने स्वविवेक से अधिक धन भी दे सकते हैं लेकिन वह धनराशि भविष्य निधि में जमा धनराशि के आधे से अधिक नहीं होगी।

(2) यह ऋण अधिकारियों को प्रायः ऐसे व्यय को वहन करने के लिए दिये जायेंगे जिनका वहन करना उनके सामाजिक तथा धार्मिक बन्धनों के अन्तर्गत अनिवार्य हो। इन व्ययों में अपने परिवार की शिक्षा, उनकी बीमारी, विवाह अथवा मृत्यु सम्बन्धी व्यय सम्मिलित होंगे।

(3) यह अग्रिम अधिकारी/कर्मचारी से 20 किश्तों में वसूल किये जायेंगे इन ऋणों पर ब्याज के रूप में एक अतिरिक्त किश्त देय होगी।

(4) अग्रिम की ब्याज सहित वापसी पूरी होने के 12 महीने बाद ही दूसरा अग्रिम साधारणः दिया जायेगा परन्तु विशेष परिस्थितियों में दूसरा अग्रिम 12 माह के पूर्व भी दिया जा सकता है।

24. यदि कोई अधिकारी चाहे तो अपने साधारण भविष्य निधि में जमा धन से पॉलिसी का प्रीमियम अदा करने के लिए पॉलिसी को मुख्य नगर अधिकारी के नाम प्रतिग्रहण प्लस कर सकता है और प्लस की हुई पॉलिसी मुख्य नगर अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के संरक्षण कस्टडी में रहेगी। पॉलिसी की प्रीमियम के लिए अग्रिम को बीमा कारपोरेशन को भुगतान किये जाने के सबूत में कार्पोरेशन की रसीद मुख्य नगर अधिकारी के पास जमा करनी होगी। इस प्रकार पॉलिसी को चालू रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की होगी। पॉलिसी परिपक्व (मैच्योर) होने पर उसका रुपया वसूल करके अधिकारी के भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जायेगा।

यदि सम्बन्धित अधिकारी पॉलिसी परिपक्व होने के पूर्व सेवा निवृत्ति हो जाये तो मुख्य नगर अधिकारी के हित में पॉलिसी प्रति ग्रहण करके उसे लौटा देंगे।

25. किसी अधिकारी/कर्मचारी के खाते में सामान्य भविष्य निधि में जमा धन उसकी नगर निगम की सेवा में निवृत्ति होने पर उसे लौटा दिया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी चाहे तो सामान्य भविष्य निधि में अपने खाते में जमा धन को निम्नलिखित कार्य के लिए प्रत्येक के लिए साथ उल्लिखित प्रतिबन्धों के अनुसार मुख्य नगर अधिकारी की स्वीकृति से सेवा निवृत्ति होने के पूर्व भी निकाल सकता है:–

(1) अपने निवास के लिए मकान बनाने, क्रय करने या इस सम्बन्ध में लिये गये ऋण को अदा करने अथवा लड़का, लड़की के विवाह करने के लिए अपने और उस पर मिले ब्याज के धन को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने या सेवा अवधि पूर्ण होने से दस वर्ष पूर्व।

(2) अपने आश्रित बच्चों की निम्नलिखित शिक्षा के लिए तीन महीने के वेतन या भविष्य निधि में जमा धन के आधे तक, जो भी कम हों:–

(क) विदेश में विद्या (एकेडमिक) औद्योगिक (टैक्निकल) कला सम्बन्धी (प्रोफेशनल) पाठ्यक्रमों "कोर्सेज" के लिए।

(ख) भारत ने ऐसे चिकित्सा (मेडिकल) अभियांत्रिक (इंजीनियर) तथा अन्य औद्योगिक (टैक्निकल) अथवा विशिष्ट "स्पेसलाईज्ड" पाठ्यक्रमों "कोर्सेज" के लिए जिनकी पढ़ाई का समय तीन वर्ष से अधिक हो और वह शिक्षा इण्टरमीडिएट के बाद की हो, दोनों दशाओं में धन निकालने के लिए छः माह के भीतर उसे मुख्य नगर अधिकारी को सन्तोष दिलाना होगा कि धन उस कार्य में जिसके लिए वह निकाला गया था, प्रयोग कर लिया गया।

ऐसा न करने पर अग्रिम लिया गया धन, मुख्य नगर अधिकारी को सामान्य भविष्य निधि में उसके खाते में जमा करने के लिए लौटा देना होगा। जब तक कि मुख्य नगर अधिकारी उस धन के प्रयोग का समय बढ़ा न दें। यदि अधिकारी/कर्मचारी, मुख्य नगर अधिकारी को या तो व्यय के विषय में सन्तोष दिला सकें अथवा बचा हुआ धन लौटायें, तो मुख्य नगर अधिकारी वह धन उसके वेतन से उचित किश्तों में वसूल करने के लिए सक्षम होंगे।

डा0 आशीष कुमार श्रीवास्तव,
आई0ए0एस0,
मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, काशीपुर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/56–भाग 8–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।